"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जुलाई 2006—आषाढ़ 31, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-6/2005/1/एक.—छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा-9 के साथ पठित धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मंत्री (यात्रा तथा दैनिक भत्ता) नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 10 के उपनियम (1) के खण्ड (पांच) में शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "दस" स्थापित किया जाय.

Raipur, the 22nd July 2006

NOTIFICATION

No. F 3-6/2005/1/One.—In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 9 of the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) the State Government, hereby makes the following further amendment in Chhattisgarh Mantri (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1972, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

In Clause (v) of Sub Rule (1) of Rule 10 for the word "Five" the word "Ten" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. मिंज, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.